

dLrjck xkwkh ckfydk fo | ky; ei dfe; k; ds fu; kst u grq

ekxhf' kdk & 2022

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत कक्षा–VI से कक्षा–VIII के कुल 535 कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय (KGBV) स्वीकृत हैं, जिनमें नामांकित बालिकाएँ समीपवर्ती मध्य विद्यालय में पठन–पाठन करती हैं। साथ हीं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के तहत कक्षा–IX से कक्षा–XII तक बालिकाओं हेतु कुल 425 बालिका छात्रावास (GH) स्वीकृत हैं, जिनमें नामांकित बालिकाएँ समीपवर्ती उच्च विद्यालय में पठन–पाठन करती हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्रियान्वित “*exi f' k{kk*” के तहत सभी कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों को कक्षा–VIII से बढ़ाकर कक्षा–XII तक उत्क्रमित किया जाना है। इसके अंतर्गत वैसे कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों को एकीकृत/उत्क्रमित माना गया है जो एक हीं जगह स्थित हैं। जो बालिका छात्रावास पूर्व निर्मित कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय से दूर स्थित हैं, उन्हें अलग इकाई मानते हुए कक्षा–IX से कक्षा–XII तक के छात्रावास के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदनुसार अब राज्य में तीन प्रकार के कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त है:—

(1) KGBV टाईप I – कक्षा–VI से कक्षा–VIII (क्षमता 100 बालिका)

(2) KGBV टाईप III – कक्षा–VI से कक्षा–XII (क्षमता 200 बालिका)

(3) KGBV टाईप IV – कक्षा–IX से कक्षा–XII (क्षमता 100 बालिका)

भारत सरकार के द्वारा विभिन्न टाईप के कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में मानव बल की स्वीकृत संख्या निम्नवत है :—

क्रम	पदनाम	KGBV टाईप I	KGBV टाईप III	KGBV टाईप IV
1	वार्डन–सह–शिक्षिका	1	1	1
2	अंशकालिक शिक्षिका	3	6	3
3	लेखापाल–सह–सहायक	1	1	0 (संबंधित प्रखंड के टाईप–I के हीं लेखापाल कार्य करेंगे।)
4	अनुसेवक	1	2	0
5	रात्रि प्रहरी/चौकीदार	1	2	2
6	मुख्य रसोईया	1	1	1
7	सहायक रसोईया	2	4	2
	dy	10	17	9

1- i nk̥ d̥ fooj .kh , oə vqūkk

राज्य के प्रत्येक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय हेतु शिक्षिका/अन्य कार्मियों के निम्न पद निर्धारित हैं :—

Ø I a	i nuke	U; ure 'kñf.kd ; kñ; rk	cñNuh; ; kñ; rk	vk; q ñ'kñ	fyx	i nk̥ d̥ fu/kñfjr l t; k	ekun& k - i fr ekgk*		
						Vkbñ &I			
1	वार्डन—सह—शिक्षिका	स्नातक (किसी भी विषय में)			महिला	1	1	1	15000
2	अंशकालिक शिक्षिका (भाषा)	स्नातक (हिन्दी/अंग्रेजी विषय में)			महिला	1	1	1	13000
3	अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित)	स्नातक (रसायन/भौतिकी के साथ गणित या जीवविज्ञान)	प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण/ 2 वर्षीय D.El.Ed./बी। एड०, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं स्नातकोत्तर	चूनतम आयु—21 वर्ष तथा अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरुष)–37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित (महिला)–40 वर्ष, अनु०जाति/जनजाति—42 वर्ष। दिव्यांग जनों को अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छट अनुमान्य।	महिला	1	2	1	13000
4	अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान)	स्नातक (इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान में किसी दो विषय में उत्तीर्ण, जिनमें एक विषय अनिवार्यतः इतिहास/भूगोल या गृहविज्ञान/मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र, हो।)			महिला	1	3	1	13000
5	लेखापाल— सह—सहायक	बी० कॉम०		महिला	1	1	0	8500 + 2000 (आवासीय भत्ता)
6	अनुसेवक	मैट्रिक उत्तीर्ण		महिला	1	2	0	6500
7	चौकीदार/रात्रि प्रहरी	मैट्रिक उत्तीर्ण		महिला/पुरुष	1	2	2	6500
8	मुख्य रसोईया	पंचम/मैट्रिक उत्तीर्ण		महिला	1	1	1	6500
9	सहायक रसोईया	पंचम/मैट्रिक उत्तीर्ण		महिला	2	4	2	6000

* विहित प्रक्रिया से नियोजित कार्मिकों को नियमानुसार ₹०पी०एफ० की सुविधा देय है।

- KGBV टाईप III की स्थिति में अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित) की दो शिक्षिकाओं में एक गणित एवं दूसरी जीवविज्ञान की होंगी।
- KGBV टाईप III की स्थिति में अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान) की तीन शिक्षिकाओं में एक इतिहास/भूगोल, दूसरी गृह विज्ञान/मनोविज्ञान तथा तीसरी अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र की होंगी।
- वार्डन—सह—शिक्षिका पद पर अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- iv. नियोजन वर्ष की पहली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु की गणना की जाएगी ।
- v. अनुसेवक / रात्रि प्रहरी को साईंकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है ।

2- fu; kst u | fefr

जिले के सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु 5—सदस्यीय जिला नियोजन समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :—

- | | |
|---|--------------|
| 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी | — अध्यक्ष |
| 2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) | — सदस्य सचिव |
| 3. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) | — सदस्य |
| 4. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित दो पदाधिकारी | — सदस्य |

जिला पदाधिकारी द्वारा नामित दो पदाधिकारियों में एक सदस्य अनु० जाति / जनजाति तथा दूसरी सदस्य महिला होंगी ।

3- vkj {k.k

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कर्मियों के नियोजन में समाज के कमजोर वर्गों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में प्रभावी आरक्षण नीति लागू होगा तथा निम्न अनुदेशों का पालन किया जाएगा :—

1. राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर नीति के संबंध में निर्गत नियमावली (समय—समय पर यथासंशोधित) का पालन किया जाएगा ।
2. राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की निर्गत नियमावली (समय—समय पर यथासंशोधित) के आलोक में कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार समानान्तर आरक्षण का लाभ देय होगा ।
3. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में स्वीकृत सभी पूर्णकालिक पदों यथा—(1) वार्डेन—सह—शिक्षिका, (2) अंशकालिक शिक्षिका (भाषा), (3) अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित), (4) अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान), (5) लेखापाल—सह—सहायक, (6) अनुसेवक, (7) रात्रि प्रहरी/चौकीदार, (8) मुख्य रसोईया, (9) सहायक रसोईया के लिए अलग—अलग आरक्षण रोस्टर निर्धारित करते हुए आरक्षण रोस्टर पंजी एवं अन्य अभिलेख संधारित किए जाएंगे ।
4. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के कर्मियों के रोस्टर का अनुमोदन क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के द्वारा किया जाएगा ।

4- fu; kst u i fØ; k

5—सदस्यीय जिला नियोजन समिति कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निम्न प्रक्रिया के अनुसार योग्य एवं सक्षम उम्मीदवारों का चयन करेंगी :—

½d½ vkonu %&

- i. आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य के निवासी होंगे ।
- ii. योग्यताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा विहित प्रपत्र में वेबसाइट <https://www.bepcnijyojan.in/> पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिया जाएगा ।
- iii. वार्डन—सह—शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में महिला (सभी कोटि की) / दिव्यांग अभ्यर्थियों से रु 400/- की राशि ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से ली जाएगी, जो वापस नहीं की जाएगी ।
- iv. अनुसेवक/ रात्रि प्रहरी/ मुख्य रसोईया/ सहायक रसोईया के पद हेतु अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- v. सभी अभ्यर्थियों को संदर्भित पदों हेतु सभी विज्ञापित प्रखंडों एवं के०जी०बी०वी० के टाईप के विकल्प प्राथमिकता के क्रमानुसार आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा ।

½[klz i j h{kk dk vk; kst u %&

- i. वार्डन—सह—शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल—सह—सहायक के पद पर नियोजन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन तथा जिलावार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयवार, एवं पदवार मेधा सूची का निर्माण बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य स्तरीय कार्यालय के द्वारा विहित प्रक्रिया से चयनित बाह्य एजेन्सी के माध्यम से किया जायेगा ।
- ii. संबंधित एजेन्सी के द्वारा उक्त पदों हेतु जिलावार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयवार, एवं पदवार मेधा सूची संबंधित जिलों को उपलब्ध की जायेगी । जिला के चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग एवं अन्य नियोजन प्रक्रिया संबंधित जिला नियोजन समिति के द्वारा की जायेगी ।
- iii. अनुसेवक, रात्रि प्रहरी/ चौकीदार, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया के पद हेतु आवेदन प्राप्त कर जिला नियोजन समिति को उपलब्ध की जायेगी तथा जिला नियोजन समिति साक्षात्कार एवं अन्य नियोजन प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई करेगी ।
- iv. वार्डन—सह—शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु 100 अंको की लिखित परीक्षा (ऑनलाईन या ऑफलाईन) आयोजित की जाएगी । इन पदों के लिए अंतर्वीक्षा नहीं ली जाएगी । अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

- v. अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया हेतु 100 अंकों की अंतर्विद्या ली जाएगी। इन पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- vi. प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों में चार-चार विकल्प होंगे। सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे।
- vii. वार्डन/शिक्षिका/लेखापाल हेतु आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप निम्नवत् होंगे:-

वार्डन—सह—शिक्षिका	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति (General Knowledge & General Aptitude)—50 अंक, गणित—10 अंक, भाषा—10 अंक, इतिहास—10 अंक, भूगोल—10 अंक, विज्ञान—10 अंक।
अंशकालिक शिक्षिका (भाषा)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति —50 अंक, गणित—10 अंक, समाज विज्ञान—10 अंक, भाषा—30 अंक।
अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति —50 अंक, गणित—10 अंक, जीवविज्ञान—10 अंक, भाषा—10 अंक, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र—20 अंक।
अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान)	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति —50 अंक, गणित—10 अंक, भाषा—10 अंक, इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान एवं राजनीति शास्त्र—30 अंक।
लेखापाल—सह—सहायक	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृति —50 अंक, गणित—10 अंक, भाषा—10 अंक, लेखा—30 अंक।

- viii. लिखित परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी।
- ix. लिखित परीक्षा यथासंभव ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर (ऑफलाईन परीक्षा की स्थिति में) / ऑनलाईन ली जाएगी। ऑफलाईन परीक्षा की स्थिति में परीक्षोपरांत परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र वापस ले लिए जाएंगे।
- x. परीक्षार्थी परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार का नोट-बुक, चिट-पुर्जा या मोबाइल फोन साथ नहीं लायेंगे। परीक्षा केन्द्र परिसर में इन्हें ले जाना निषेध है।
- xi. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कार्य में संलग्न केन्द्राधीक्षक एवं प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को छोड़कर वीक्षक एवं कर्मचारी भी अपना मोबाइल फोन परीक्षा केन्द्र पर नहीं लायेंगे।
- xii. कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न करने हेतु आवश्यक कार्रवाई के तहत पूरी परीक्षा अवधि तक प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की वीडियोग्राफी करायी जाएगी। इससे कदाचार में लिप्त परीक्षार्थियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।

vii. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हर हाल में तीन दिनों के अंदर करवा लिया जाएगा।

1/2 क्र० eskk | ph! fuekL k %&

- i. अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी, उन्हें पैनल में उपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर झँॅ ऑफ लॉट के द्वारा पैनल में उपर स्थान निर्धारित होगा।
- ii. परीक्षा/अंतर्वर्कशा के उपरान्त तैयार मेधासूची को सदस्य सचिव के द्वारा नियोजन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाएगा। अनुमोदित सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लिए जायेंगे।
- iii. वार्डन/शिक्षिका के प्रत्येक पद विशेष हेतु चार अलग—अलग पैनल तैयार किए जायेंगे – (क) प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण/2 वर्षीय D. El. Ed./बी० एड० एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, (ख) शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी (ग) प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण/2 वर्षीय D. El. Ed./बी० एड०, परन्तु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं, तथा (घ) बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी। उपलब्धता की स्थिति में सर्वप्रथम बिन्दू (क), उसके बाद बिन्दू (ख), उसके बाद बिन्दू (ग) तथा उसके बाद बिन्दू (घ) पर उल्लिखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, चाहे समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक हीं क्यों न प्राप्त हों।
- iv. मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अलग मेधा सूची बनायी जाएगी। मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में हीं पंचम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, चाहे समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक हीं क्यों न प्राप्त हों।
- v. पदवार समेकित मेधा सूची से अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन में क्रमानुसार उपलब्ध विकल्प वाले प्रखंड एवं केऽजी०बी०वी० के टाईप आवंटित किए जायेंगे, जो अपरिवर्तनीय होंगे।
- vi. विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु तैयार पैनल जिला नियोजन समिति के अनुमोदन की तिथि से मात्र एक साल के लिए वैध होगी।

1/2 क्र० fu; kst u i = %&

- i. चयनित अभ्यर्थियों को प्रखंड आवंटन के उपरान्त जिला नियोजन समिति के सदस्य—सचिव के द्वारा चयन सूची संबंधित प्रखंडों को उपलब्ध की जाएगी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निवंधित डाक से उन्हें नियोजन पत्र भेजा जाएगा। योगदान हेतु अधिकतम 30 दिनों का समय दिया जाएगा जिसका उल्लेख नियोजन पत्र में होगा।
- ii. जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जॉच करायी जाएगी। प्रमाण पत्र जाली या गलत

- पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी द्वारा नियोजन रद्द कर दिया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी ।
- iii. किसी कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में योगदान के उपरान्त कर्मियों का स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा ।
 - iv. नियोजन संबंधी पूरी कार्यवाही की घटनोत्तर स्वीकृति जिला कार्यकारिणी समिति से प्राप्त की जाएगी ।
 - v. नियोजन के संबंध में कोई आपत्ति नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी –सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति के नाम समर्पित की जाएगी, जिसका 30 दिनों के अंदर निपटारा किया जाएगा ।

॥५॥ ०; oI kf; d vunf' kdk dks mi jh vk; qe NIV , oa vf/kHkkj %&

- i. प्रारंभिक दौर में प्रत्येक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में दैनिक आधार पर व्यवसायिक अनुदेशिका (पूर्व पदनाम “अंशकालिक शिक्षिका”) का प्रावधान था, जिन्हें प्रतिदिन रु 400/- की दर से माह में आवश्यकतानुसार अधिकतम 22 दिन तक रखा जा सकता है। अनुदेशिकाओं को विभिन्न पृष्ठभूमि यथा Art & Craft, Physical, Music, Vocational Trained होनी चाहिए ।
- ii. वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मियों की मान्यता प्राप्त नहीं है, अतएव उन्हें वेतन मद से भुगतान न कर “व्यवसायिक प्रशिक्षण” अंतर्गत स्वीकृत बजट से मानदेय राशि भुगतान की जा रही है ।
- iii. दिनांक—०५/०९/२०११ के प्रभाव से व्यवसायिक अनुदेशिकाओं के नियोजन पर रोक लगायी जा चुकी है ।
- iv. वर्तमान में कार्यरत अनुदेशिकाओं को विषय शिक्षण हेतु अंशकालिक शिक्षिका के पद पर निर्धारित योग्यता धारण करने की स्थिति में नियोजन में परीक्षा में 25 अंको का अधिभार (01 वर्ष के कार्य अनुभव हेतु पाँच अंक एवं अधिकतम 25 अंक) तथा उनकी अधिकतम आयुसीमा में कार्यरत अवधि के सम्मुल्य छूट दिया जाएगा ।

5- ekuns , oa vodk' k

- i. कर्मियों को साल में अधिकतम 30 दिनों का अवकाश देय होगा । इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष में अधिकतम 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा । संबद्ध मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जायेंगे । महिला कर्मियों को 90 दिनों का स्वैतनिक मातृकावकाश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जो अधिकतम दो बच्चों तक मान्य होगा ।
- ii. जिला कार्यालय/संचालक के द्वारा कार्मिकों का वेतन भुगतान अनिवार्य रूप से उनके व्यक्तिगत बचत खाते में अंतरण के माध्यम से किया जाएगा । नगद या चेक के माध्यम से वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा ।

- iii. सभी कर्मियों को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा समय—समय पर यथा पुनर्निर्धारित / संशोधित वेतन तथा नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा देय होगी ।
- iv. वार्डन—सह—शिक्षिका, सभी अंशकालिक शिक्षिका, महिला लेखापाल, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया को चौबीस घंटे छात्रावास में आवासन करना होगा । पुरुष लेखापाल, अनुसेवक एवं रात्रि प्रहरी अपने निर्धारित अवधि में प्रतिदिन छात्रावास के कार्यों का संपादन करेंगे । KGBV टाईप—4 में चौकीदार/रात्रि प्रहरी के दो पदों में से चक्रानुक्रम में एक व्यक्ति दिन में एवं दूसरे व्यक्ति रात्रि में कार्य करेंगे ।

6- vupk dk uohdj .k

- i. कस्तूरबा गौड़ी बालिका विद्यालय में कर्मियों का नियोजन अनुबंध के आधार पर तीन वर्ष या योजना समाप्ति की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा ।
- ii. कर्मियों के सेवावधि की अधिकतम आयुसीमा 60 वर्ष होगी ।
- iii. तीन वर्ष की अवधि पूरा होने के एक माह पूर्व कर्मियों की संतोषपूर्ण सेवा की समीक्षा जिला नियोजन समिति की बैठक में की जाएगी तथा संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अगले तीन वर्ष हेतु कर्मियों के अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा । समिति के निर्णय की सूचना सदस्य सचिव के द्वारा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से दी जाएगी तथा सेवावधि विस्तार संबंधी पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किए जायेंगे ।
- iv. वार्डन को छोड़ शेष कर्मियों के संतोषप्रद कार्य एवं अवधि विस्तार की अनुशंसा वार्डन एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा वार्डन के संतोषप्रद कार्य एवं अवधि विस्तार की अनुशंसा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला जेण्डर समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी ।
- v. कर्मियों को कस्तूरबा गौड़ी बालिका विद्यालय से स्वेच्छापूर्वक सेवा त्याग की स्थिति में कम से कम एक माह की पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनसे एक माह का मानदेय वसूलनीय होगा ।
- vi. असंतोषजनक सेवा की स्थिति में जिला नियोजन समिति के द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि के दौरान कभी भी उनका अनुबंध विखंडित किया जा सकता है ।
- vii. जिला नियोजन समिति द्वारा किसी कर्मी के अनुबंध विखंडन के निर्णय के विरुद्ध उनके द्वारा जिला कार्यकारिणी समिति के समक्ष 15 दिनों के अंदर अपील की जा सकेगी । अपील अभ्यावेदन जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति को संबोधित होगा ।

fcgkj f' k{kk i fj ; kstuk i fj "kn-----/ftyk dk uke½
dLrjck xkhkh clfydk fo /ky; eip; u grq vkonu i=

1. आवेदित पद का नाम :-

2. आवेदित जिला का नाम:-

3. आवेदक/आवेदिका का नाम :-

हिन्दी में :-

अंग्रेजी (Capital Letter) में:-

पासपोर्ट आकार का
हाल में खिंचवाया हुआ
अभ्यर्थी का रंगीन
फोटो अपलोड किया
जायेगा।

4. पिता/पति का नाम:-

5. आवेदक/आवेदिका का
आधार संख्या :-

6. स्थायी पता (आधार कार्ड के अनुसार—पिन कोड सहित):-

7. पत्राचार का पता (पिन कोड सहित):-

8. जन्म तिथि :-

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

9. दिनांक 01.08.2022 को आयु:-

वर्ष	माह	दिन

10. शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता (प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षण / D. El. Ed. / B. Ed. एवं टी0ई0टी0 सहित) :—

योग्यता	विद्यालय / कॉलेज / संस्था का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	कुल प्राप्तांक	पूर्णांक	% प्राप्तांक	लिए गए विषय

11. योग्यतानुसार आवेदक की श्रेणी (सिर्फ वार्डेन / अंशकालिक शिक्षिका पद हेतु) (✓ करें) :—

- i. प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण / 2 वर्षीय D. El. Ed. / बी0एड0 एवं टी0ई0टी0 उत्तीर्ण
- ii. प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण / 2 वर्षीय D. El. Ed. / बी0एड0, परन्तु टी0ई0टी0 उत्तीर्ण नहीं अभ्यर्थी
- iii. अप्रशिक्षित, परन्तु टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी
- iv. बिना टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी

12. विकलांगता की स्थिति (सिर्फ 40% या अधिक के लिए

—सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर) (✓ करें) :—

हॉ नहीं

(दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित / अस्थि निःशक्त / मिश्रित निःशक्त)

13. यदि हॉ, तो विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत

14. कोटि (✓ करें) :— सामान्य वर्ग अनु0 जाति अनु0 जनजाति

अत्यंत पिछङ्गा वर्ग पिछङ्गा वर्ग पिछड़े वर्ग की महिला

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

15. लिंग (✓ करें) :— पुरुष महिला ट्रांसजेन्डर
16. वैवाहिक स्थिति (✓ करें) :— विवाहित अविवाहित
17. क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते/पोती/नाती/नातीन हैं? हॉ नहीं
18. क्या आप वर्तमान में KGBV में व्यवसायिक प्रशिक्षण अनुदेशिका के रूप में कार्यरत हैं ? हॉ नहीं
- यदि हॉ, तो
KGBV एवं जिला का नाम:— KGBV- जिला:—

तथा दिनांक 01.08.2022 की तिथि तक किये गये
कार्य की अवधि :—

वर्ष	माह	दिन

19. क्या आप साईकिल चलाना जानते हैं ?
(केवल रात्रि प्रहरी के लिए आवश्यक है) हॉ नहीं
20. दूरभाष / मोबाईल नं० (जिसपर कार्यालीय सूचना प्रेषित की जा सके) :—

21. चयन की स्थिति में क्रमानुसार प्रखंडों का विकल्प :—
(विज्ञापित रिक्त पद वाले सभी प्रखंडों का नाम एवं KGBV टाईप अंकित किया जाय)

क्रम सं०	प्रखंड का नाम	के०जी०बी०भी० टाईप

नोट :— कार्मिकों का विभिन्न पदों पर पदस्थापन मेधा एवं दिये गये विकल्प के आधार पर किया जायेगा।

22. आवेदक /आवेदिका की घोषणा :—
मैं एतद् द्वारा प्रमाणित एवं घोषित करता/करती हूँ कि :—

- i. मैंने करस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में कर्मी के चयन संबंधी प्रावधानों/निदेशों को पढ़ लिया है।
- ii. आवेदन पत्र में भरे गए सारे विवरण/सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य पूर्ण और सही हैं। मेरे द्वारा दी गयी सूचना या इसका कोई अंश लिखित परीक्षा/साक्षात्कार या चयन से पूर्व या सेवाकाल में असत्य एवं गलत पाए जाने पर जिला चयन समिति द्वारा मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है और मेरी उम्मीदवारी/चयन रद्द की जा सकेगी।
- iii. मैं दिनांक—01.08.2022 के आधार पर आवेदित पद के लिए निर्धारित आयु, शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता/करती हूँ और मैंने संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति अपलोड कर दिया है।

स्थान :—

तिथि :— — / — / — — —

आवेदक/आवेदिका का पूरा हस्ताक्षर